संख्या-8-सा-3-533/दस-2014-308/97 टी0सी0

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनाँक : 04 अगस्त, 2014**

विषय : वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप बढ़ी हुयी दरों पर पारिवारिक पेंशन का भुगतान ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1508/दस-2008-308/97, दिनाँक 08-12-2008 एवं कार्यालय-ज्ञाप/शुद्धि-पत्र संख्या-सा-3-40 वी0आई0पी0/दस-2009-308/97, दिनाँक 11-01-2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे सरकारी सेवक जिनकी सेवाकाल में मृत्यु हो जाती है, के परिवार को मृत्यु की तारिख से 10 वर्ष की अवधि तक बढ़ी हुई दरों पर पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी, तथा इस हेतु कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं होगी। यह व्यवस्था दिनाँक 01-01-2006 के पूर्व दिवंगत होने वाले कर्मचारियों के मामलों में भी लागू होगी बशर्ते दिनाँक 01-01-2006 को सामान्य दरों पर पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ न हो चुकी हो। पेंशनर की मृत्यु की दशा में बढी हुई दरों पर पारिवारिक पेंशन का लाभ दिवंगत पेंशनर की मृत्यु की तिथि से 07 वर्ष अथवा पेंशनर की आयु 67 वर्ष होने, जो भी पहले हो, तक अनुमन्य होगा।

2- ऐसे प्रकरण, जिनमें पूर्व व्यवस्था के अनुसार बढ़ी हुयी दरों पर

http://shasanadesh.up.nic.in

पारिवारिक पेंशन बन्द कर सामान्य दरों पर पारिवारिक पेंशन दिनाँक 01-01-2006 से प्रारम्भ हो चुकी हो, इन आदेशों के तहत पुनरूद्धघाटित नहीं किये जायेंगे।

3- उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय-ज्ञाप दिनाँक 08-12-2008 एवं 11-01-2010 इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे ।

भवदीय,
राहुल भटनागर
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या-8-सा-3-533(1)/दस-2014-308/97 टी0सी0 तददिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)- प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव , उ0प्र0 शासन ।
3- निदेशक कोषागार, उत्तर प्रदेश।
4- निदेशक, पेंशन उत्तर प्रदेश ।
5- समस्त कोषागार, उत्तर प्रदेश।
6- प्रमुख सचिव विधान सभा/विधान परिषद, विधान भवन, लखनऊ ।
7- महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून ।
8- निदेशक, पेंशन, उत्तराखण्ड देहरादून ।
9- समस्त कोषागार, उत्तराखण्ड देहरादून ।
10- प्रभारी एन0आई0सी0, नवीन भवन, उ0प्र0 शासन ।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

http://srasamadesh.up.nic.in